



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-22-औ0सं0/2019-64/ए0एस0/2002

दिनांक 04 जनवरी, 2019

ई-मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता/हड़ताल नोटिस

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

विषय :- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2018 एवं नेशनल टैरिफ पालिसी के विरोध में दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2018 एवं नेशनल टैरिफ पालिसी के विरोध एवं अन्य माँगों के सम्बन्ध में दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किये जाने की नोटिस दी है (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किये जाने का नोटिस अनुचित व अवैधानिक है।

उ0प्र0 सरकार ऊर्जा अनुभाग-02 ने अधिसूचना सं0-2/2019/2368/24-पी- 2-18-1(121)/04 दिनांक 04.01.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-30 सन् 1966) की धारा 03 की उपधारा (01) के अधीन ऊर्जा क्षेत्र में समस्त सेवाओं पर हड़ताल निषिद्ध के आदेश निर्गत किये हैं। अधिसूचना को कारपोरेशन के पृष्ठांकन सं0-20/औ0सं0/2019-159ए/67 दिनांक 04.01.2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ0सं0/17/पाकालि/ 2001-3-ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2018 एवं नेशनल टैरिफ पालिसी के विरोध में दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किये जाने की नोटिस को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला-प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दृष्टिगत अधिकारियों/कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ0सं0/17/पाकालि/2001-3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कारपोरेशन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-22-(1)-औ0सं0/2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल-वाराणसी, पश्चिमांचल-मेरठ, मध्यांचल-लखनऊ, दक्षिणांचल-आगरा विद्युत वितरण निगम लि0 एवं मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), केस्को कानपुर।
7. महानिदेशक (प्रशिक्षण), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
9. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2018 एवं नेशनल टैरिफ पालिसी के विरोध में दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किये जाने की नोटिस को दृष्टिगत रखते हुये नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
11. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पारेषण-II, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को 02 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किये जाने की नोटिस की प्रति संलग्न करते हुये शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को सूचित करते हुये समुचित प्रबन्ध करने हेतु।
12. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल।


(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)